275

पo सं०— XXVIII—5—2016—52 / 2012

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग—5 देहरादून दिनांक 20 जून, 2016

विषयः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलालघाटी जनपद पौडी गढ़वाल के अवासीय / अनावासीय भवनों निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—7प / 1 / 20 / 2012 / 12658, दिनांक 10 जून 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु संस्तुत धनराशि ₹ 252.12 लाख के सापेक्ष वर्तमान में अवशेष धनराशि ₹ 64.28 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016—17 में उक्त मद में अवशेष धनराशि ₹ 25.00 लाख (पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. उक्त धनराशि आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग प्रखण्ड कोटद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी ।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलबध करा दिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—321—XXVII(1) / 2012, दिनांक 19.06.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जयेगा।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतांए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण काय्र को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा व अनुश्रवण करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रुप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए भवन विभाग को हसतगत कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। बिलम्ब या अन्य किसी भी दश में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य के संबंध में वि०वि० के शासनादेश संख्या—475 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से MOU अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

9. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या– 12 लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण, 00– आयेजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति एवं दिये गये निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे है।

साफ्टवेयर आवंटन संख्या–S1606120197

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–764 (1)/XXVIII–5–2014–52/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल
4– मुख्य चिकित्साधिकारी पौडी गढ़वाल।
5– अधिशासी अभियन्ता, अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड कोटद्वार।
6–बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8–मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव